FORM NO III APP-A

फर्द अहकाम Crim-1

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

कालू पुत्र मनोहर जाति ~~बनाम~~ शैलेन्द्र सिंह राठौड़ एडवोकेट

कुमावत /

किस्म मुकदमा ~~225 आर.टी. एक्ट~~ नम्बर 171 / सन् 2020 (अजमेर) (सांभर)

202000171

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	श्री हेमराज गुप्ता श्री	
25.9.20	पत्रावली वास्ते बहस क्षेत्राधिकार एवं स्थगन प्रार्थना पत्र हेतु पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित । अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील पर अहलमद की रिपोर्ट में अपील पर क्षेत्राधिकार हेतु बहस आवश्यक है, के साथ रिपोर्ट की गई । सर्वप्रथम अभिभाषक अपीलांट को अपील के क्षैत्राधिकार पर सुना गया । पत्रावली वास्ते आदेश क्षैत्राधिकार अपील दिनांक 9.10.2020 को पेश हो ।	
	25/9/2020 ... प्राधिकारी अजमेर	
9.10.20	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ क्षैत्राधिकार अपील पेश की गई । विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि रेस्पोडेंट ने दिनांक 22.6.2020 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 4/2018 रामचन्द्र बनाम कालू वगैरह में प्रार्थना पत्र बाबत् शीघ्र सुनवाई हेतु पेश किया । दिनांक 22.6.2020 को अधी0न्याया0 द्वारा आदेश दिया गया कि ' असल पत्रावली के साथ दिनांक 7.7.2020 को पेश हो ।'' प्रतिवादी पक्षकार को नोटिस जारी हो । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के बिना ही अपीलांट संख्या 1 को नोटिस जारी किया गया और असल पत्रावली तलब किये बिना, अपीलांट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 340 दण्ड प्रकिया संहिता पर बहस सुने बिना व अपीलांट संख्या 1 को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलांट संख्या 2 के विरूद्ध उक्त आदेश में अवैध टिप्पणी की व प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किये बिना ही उक्त आदेश दिया गयां है जो अपील के माध्यम से निरस्तनीय है । अतः अपीलांट द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत एडमिट कर अधी0न्याया0 की पत्रावली तलब कर अधी0न्याया0 द्वारा प्रकरण संख्या 4/2018 (61/2020) बउनवान रामचन्द्र बनाम कालू वगै0 में पारित आदेश दिनांक 21.8.2020 में अपीलांट संख्या 2 के विरूद्ध पारित अवैध टिप्पणी निरस्त करने के आदेश प्रदान करावे तथा प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 340 दण्ड प्रक्रिया संहिता का गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.8.2020 का अवलोकन किया । प्रार्थी रामचन्द्र द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष एक प्रार्थना पत्र वास्ते शीघ्र सुनवाई प्रकरण संख्या 4/2018 में प्रस्तुत किया था जिसे बाद में दुरूस्त कर प्रकरण संख्या 42/2018 हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 के तहत प्रस्तुत किया गया । उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के उपरांत अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 340 दण्ड प्रकिया संहिता, प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 91 दण्ड प्रक्रिया संहिता व धारा	लगातार

केकड़ी / टोंक

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

171/2015 ... बनाम ...

तारीख पेशी	2020/00171 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री ... श्री	

165 साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रस्तुत हुए है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण अंतर्गत धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि पक्षकारान के मध्य एक फौजदारी रिपोर्ट महावीर प्रसाद व शिवजीराम के विरूद्ध पुलिस थाना, केकड़ी के समक्ष दिनांक 6.8.2014 को प्रस्तुत हुई जिसका फौजदारी प्रकरण संख्या 459/2014 अंतर्गत धारा 447, 308, 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दर्ज होकर आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष पेश हुआ है । इसी कम में न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कम संख्या 1, केकड़ी के समक्ष प्रसंज्ञान लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 193 सी0आर0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत किये जाने का कथन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 340 एवं धारा 91 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत सपठित धारा 165 साक्ष्य अधि0 के तहत प्रस्तुत किये गये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार किया गया है जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में अंतर्गत धारा 225 राज0काश्त0अधि0 के तहत हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है । यह तथ्य विवादित नहीं है कि अधी0न्याया0 के समक्ष भारतीय दण्ड प्रकिया संहिता के तहत अंतर्गत धारा 340 व 91 प्रस्तुत किये गये । न्यायालय हाजा के समक्ष अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तृतीय अनुसूची में उल्लेखित आदेशों के विरूद्ध ही अपील संधारण योग्य होती है । परन्तु हस्तगत प्रकरण में आदेश भारतीय दण्ड प्रकिया संहिता के प्रार्थना पत्रों पर पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई है जो प्रथमदृष्टया ही क्षेत्राधिकारिता के अभाव में संधारण योग्य नहीं होने से अस्वीकार योग्य है ।

अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील उपरोक्त विवेचन के कम में क्षेत्राधिकारिता के अभाव में खारिज की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

9/10/2020